 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 170/2023

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश,भ्र0निवा0अधि0 (V.B.U.P.S.E.B.)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ ।

उपस्थित– प्रहलाद सिंह –II (एच.जे.एस.)

I.D. No- UP 6350

पंजीयन संख्या–91/2023

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 170/2023

CNR No. UPME01-014634-2023

योगेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 कुँवर बहादुर सिंह निवासी नवाटेढ़ा, थाना बरनाहल, जिला मैनपुरी हाल निवासी नवाटेढ़ा हाऊस, कचहरी रोड, मैनपुरी। ..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ..... विपक्षी

<u>04.10.2023</u>

प्रार्थी/अभियुक्त योगेन्द्र सिंह चौहान की ओर से मु0अ0सं0 1212/2013 अर्न्तगत धारा 13 (1)ई व 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना कोतवाली शहर जिला मैनपुरी के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार, आप0अनु0वि0 उ0प्र0आगरा के पत्रांक 8092/आगरा (690)/1/09(4) पी0ई0 दिसम्बर 2013 के द्वारा संयुक्त सचिव चिकित्सा अनुभाग –430प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 4004 (1) ए 2008–700 (30)/08 दिनांक 1–1–09 के साथ रामहेत भारती ,स्वतंत्र प्रभार, निर्वाचन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 5.3.2008 एवं अमरपाल सिंह 3/25 विकास कालोनी, जनपद मैनपुरी के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में योगेन्द्र सिंह लिपिक के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने की अपेक्षा की गयी। तदनुसार उक्त प्रकरण की जांच संगठन की आगरा इकाई से की गयी। जांच से पाया गया कि योगेन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ लिपिक (पदच्युत) कार्यालय चिकित्सासधिकारी, जनपद मैनपुरी पुत्र स्व० कुंवर बहादुर सिंह, निवासी ग्राम नवादा ना वरनाहल जनपद मैनपुरी हाल पता सी०एम०ओ० परिसर जनपद मैनपुरी द्वारा लोक सेवक के रूप कार्यरत रहते हुए जांच हेतु निर्धारित की गयी । चैक अवधि दिनांक 01.02.2000 से 31.12.2008 तक में अपनी आय के समस्त ज्ञात व वैध स्रोतो से कुल 22,95,407.00 की आय अर्जित की गई तथा इस अवधि में उसके द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन पर एवं भरण पोषण पर किया गया 37,43,699.00 किया जाना पाया गया, जो आय से रू० 14,48,292.00 यानी 63.09 प्रतिशत व्यय अधिक है। इस प्रकार जांच हेतु निर्धारित की गयी अवधि में योगन्द्र सिंह चौहान द्वारा ज्ञात व वैध स्रोतो से अर्जित की गयी अपनी आय के सापेक्ष अनानुपातिक है। इस व्यय तथा परिसम्पत्तियों के अर्जन के संबंध में योगेन्द्र सिंह चौहान द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार सम्यक जांच से योगेन्द्र सिंह का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) ई के अन्तर्गत अपराधिक है तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराध है। अभियुक्त के विरूद्व उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, वह निर्दोष है। विभागीय पार्टीबन्दी व रंजिश के कारण पुलिस से साज करके झूठा फंसाया गया हैं। प्रथम सूचना रिपार्ट के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा अपराध पंजीकृत कराते हुए स्वंय विवेचना प्रारंभ की जाकर अपने से निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों से आरोप पत्र तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपराध से पूर्व भी विभागीय रंजिश के कारण अपराध सं0 716/2002 धारा 13(1) ई व 13(2) भ्र0निवा0 अधि0 1988 थाना कोतवाली मैनपुरी में उसके विरूद्व दिनांक 23.04.2022 को पंजीकृत कराया गया था जिसकी जांच में आरोप प्रमाणित न होने के कारण विवेचना समाप्त कर प्रस्तुत की गई

एफ0आर0सं0 5/2003 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। पुनः उसी बिन्दु पर अ0सं0 1212/13 दिनांक 10.12.2013 में झूठा फंसायें जाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता हैं। उसकी पत्नी की दिनांक 07.08.2023 को मृत्यु हो गई है जिस सदमें के कारण उसको दिल का दौरा भी पड चुका है। डाक्टर की सलाह पर बिस्तर पर है। गैर जमानती वारन्ट के आधार पर थाना कोतवाली मैनपुरी की पुलिस उसे तंग व परेशान कर जेल में डालने हेतु प्रयासरत है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु विश्वसनीय जामिनान देने को तैयार है, अतः दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ स्वंय का शपथपत्र , आधार कार्ड व पहचान पत्र की छाया प्रति,प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति व अन्य प्रपत्रों की छाया प्रतियां दाखिल की गई हैं ।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया ।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, प्रस्तुत मामले में पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आगरा इकाई आगरा के द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली जिला मैनपुरी को तहरीर देकर अभियुक्त के विरूद्व इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मैनपुरी के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य करते हुए उसके द्वारा चैक अवधि दिनांक 01.02.2000 से 31.12.2008 के मध्य कुल 22,95,407/– रूपये अर्जित की तथा इस अवधि में उसके द्वारा अंकन 37,43,699.00 किया जाना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा आय से अधिक रू० 14,48,292.00 यानी 63.09 प्रतिशत व्यय किया जाना पाया गया जो अभियुक्त के द्वारा ज्ञात व वैध स्रोतों से अर्जित की गयी आय के सापेक्ष अनानुपातिक है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट उ0प्र0शासन सर्तकता विभाग के द्वारा की गई जांच के आधार पर पंजीकृत करायी गयी । मामले में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त की आय–व्यय से सम्बन्धित विवरण विवेचक के द्वारा संकलित कियां गया तथा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये ।विवेचक के द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0 25 में अभियुक्त की कुलआय 34,18,479 रूपये के सापेक्ष व्यय 45,84,470/–रूपये यानि कि 34.10 प्रतिशत अधिक होने की पुष्टि किये जाने का उल्लेख किया गया है । इसके उपरान्त अभियुक्त के द्वारा किये गये प्रत्यावेदन के आधार पर प्रस्तुत मामले की अग्रिम विवेचना निरीक्षक राजीव यादव के द्वारा की गई जिनके द्वारा अपने केस डायरी के पर्चा सं0 एस0सी0डी0 17 में अभियुक्त की कुल आय 19,45,659/–रूपये के सापेक्ष व्यय 42,657,47/ –रूपये यानि आय से 23,22,088/–रूपये यानि 119.46 प्रतिशत अधिक होने की पुष्टि किये जाने का उल्लेख किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि, विवेचक के द्वारा उसकी आय व्यय के सम्बन्ध में अलग–अलग विवरण केस डायरी में अंकित किया गया है। विवेचक के द्वारा जो विवरण केस डायरी में अंकित किया गया है वह आय व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध विवरण पर आधारित है इसलिये उसमें विसंगति होना कोई असामान्य नहीं है। वैसे भी आय व्यय से सम्बन्धित विवरण का वास्तविक निरीक्षण साक्ष्य के बाद भी हो सकता है, इसके आधार पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है।

अभियुक्त की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि, पूर्व में उसके विरूद्व दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में न्यायालय के द्वारा अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया इसलिये उसका पुनः अभियोजन नहीं हो सकता है। अभियुक्त की ओर से इस सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में आदेश की प्रति दाखिल की गई है इसलिये अन्तिम रिपोर्ट से सम्बन्धित तथ्यों की विस्तृत समीक्षा करने के लिये उसको स्वीकार किये जाने का उल्लेख नहीं है। वैसे भी केवल अन्तिम रिपोर्ट के स्वीकृत होने मात्र से अभियुक्त का अभियोजन वर्जित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि, उसके विरूद्व विवेचना प्रचलित है, इसके बाबजूद आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि, प्रस्तुत मामले में विवेचक के द्वारा निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें,उ0प्र0 से विधिवत विवरण प्राप्त करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी विवेचना के जारी होने में कोई रूकावट नहीं है, इसलिये अभियुक्त का यह आधार भी माने जाने योग्य नहीं है।

अभियुक्त की ओर से एक आधार यह भी लिया गया है कि, वह एक सम्मानित व्यक्ति है। जेल में निरूद्व रहने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं छवि धूमिल हो सकती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि, स्वंय अभियुक्त की ओर से अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें,उ0प्र0 के आदेश दिनांकित 11.08.2011की प्रति को संलग्न किया गया है जिसमें अभियुक्त की सेवायें इस आधार पर समाप्त की गई है कि, उसके द्वारा मिथ्या नियुक्ति दिखाकर राजकीय सेवा में कार्य करके अवैध रूप से वेतन प्राप्त किया गया ।उसके दोषी पाये जाने के बाद अभियुक्त के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश भी दिये जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से पंजीयन मु0अ0सं0 610/09 धारा 147,148,149,353,504,506 भा0द0स0 थाना मैनपुरी, मु0अ0सं0 1409/11 धारा 419,420,467,468,471,448,506 भा0द0सं0 थाना मैनपुरी, मु0अ0सं0 1414/11 धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 थाना मैनुपरी, मु0अ0सं0 1417/11 धारा 186,386,409, 447, 448,468,506 भा0द0स0 थाना मैनपुरी, मु0अ0सं0 215/02 धारा 409,420,201 भा0द0स0 थाना मैनपुरी, मु0अ0सं0 716/02 धारा 13(1) 13(2) भ्र0निवा0 अधि0 थाना मैनपुरी एवं मु0अ0सं0 488/02 सी0आई0डी0 लखनऊ के दर्ज होने का उल्लेख है। प्रस्तुत मामले में विवेचना के दौरान भी अभियुक्त लगातार फरार रहा है। उसके विरूद्व केस डायरी के पर्चा सं0 21 में धारा 82 सीआर पी सी की आदेशिका प्राप्त करके तामील कराये जाने का उल्लेख है। उसके बाद भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ है। अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के निर्णय **वीर सिंह बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0** का सन्दर्भ इस सम्बन्ध में लिया गया कि केवल आपराधिक इतिहास दर्ज होने से जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होता है। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि, प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्व केवल आपराधिक मुकदमें ही दर्ज नहीं है बल्कि उसके विरूद्व मिथ्या प्रप़त्र तैयार करके नौकरी प्राप्त करने तथा नौकरी के दौरान पद का दुरूपयोग करके अवैध रूप से वेतन प्राप्त करने का आरोप है। इसलिये अभियुक्त के आचरण को देखते हुए अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अभियुक्त की ओर से न्यायिक निर्णय **प्रमोद बंसल बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 2022(2) जे आर सी 1197,सन्दीप आदि बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 2023 (1) जे आर सी 77 व उदित आर्य बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 2023 (1) जे आर सी 969** का भी सन्दर्भ लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सतेन्द्र अन्टिल बनाम सी0बी0आई0** में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित मामलों को विशेष अधिनियम के अर्न्तगत अपराध के रूप में वर्गीकृत करते हुए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत दिये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये गये है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्व आय से अधिक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य है। **धारा 438 द0प्र0सं0 में उ0प्र राज्य** के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार अग्रिम जमानत ऐसे मामले में प्रदान की जा सकती है जिसमें अभियुक्त की प्रतिष्ठा व छवि को धूमिल करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाया गया हो। लेकिन अभियुक्त के विरूद्व जो साक्ष्य है उसके आधार पर यह नहीं कहा सकता कि, केवल अभियुक्त की प्रतिष्ठा व छवि को धूमिल करने के उददेश्य से यह मुकदमा दर्ज कराया गया हो।माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी. के.ए0आई0आर0 2022 एस.सी.5705** में यह मत व्यक्त किया गया है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के विचार के समय आरोपी के विरूद्व प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने के सम्बन्ध में साक्ष्य होना भी सुसंगत है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त अपराध में

संलिप्त होने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके पुष्टि विवेचना की साक्ष्य से हो चुकी है। उसके द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता। इस प्रकार अभियुक्त की भूमिका तथा उसके अपराध के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तदानुसार अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0 1212/13 अर्न्तगत धारा 13 (1)ई सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना कोतवाली शहर जिला मैनपुरी के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त योगेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 कुँवर बहादुर सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(प्रहलाद सिंह–11)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
(V.B.U.P.S.E.B.)/अपर सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।